grievances of 'A' category workers, grant of adequate dearness allowance, recognition of the Federation, abolition of stevedoring system, training of workers, bonus for all workers, housing and medical facilities, improved safety measures and scrapping of elaborate schemes of mechanisation, are also under examination.

12.02 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED ATTACK BY MIZOS ON GOVERNMENT TREASURIES ETC. AT AIJAL AND LUNGLEH

Mr. Deputy-Speaker: Is the Home Minister prepared to make the statement on the "calling-attention" notice?

Shri Hem Barua (Gauhati): I must call his attention.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, I rise on a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: We have gone to the next question.

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

Mr. Deputy-Speaker: Before we take up any other business there cannot be a point of order.

Shri S. M. Banerjee: On the business of the House.

Mr. Deputy-Speaker: We have taken up the "calling attention" notice.

Shri Hem Barua: Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

> The reported attack by 10,000 Mizos of the Mizo National Front on Government treasuries and armouries at Aijal and Lungleh of the Mizo district.

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): I can give some information now, but it may facilitate my giving fuller information if it is taken up at about 4.30.

Mr. Deputy-Speaker: Shall we have it at 5 o'clock?

Shri Nanda: Yes..... (*Interruption*).

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): I am one of the signatories. We have got a committee meeting at 4 o'clock; so, can it be at 3.30?

Shri Nanda: Yes; I would be agreeable to 3.30.

Mr. Deputy-Speaker: We will take it up at 3.30.

12.04½ hrs.

Re. CALLING ATTENTION NOTICES—*Query*

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, I rise on a point of order.

श्री ओंकार लाल बेरवा : (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री बेरवा ने पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । आप पहले उस को सुन लीजिए ।

Mr. Deputy-Speaker: On what business?

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं ने तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस रूल के मातहत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री ओंकार लाल बेरवा : रूल 197 के मातहत, जिस में कहा गया है : "कोई सदस्य, अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से, अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकेगा और मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा या बाद के किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेगा ।"

इस रूल के तहत में कहना चाहता हूं कि. .

Mr. Deputy-Speaker: What I have disallowed in the Chamber cannot be raised on the floor of the House. I will not allow you to raise it here. There is no point of order.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) उपाध्यक्ष महोदय, इस में आप को क्य आपत्ति है ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, आप पूरी बात तो सुन लीजिए ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : 26 फरवरी को राजस्थान विधान सभा में राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 143 की अवहेलना करते हुए बारह सदस्यों को निकाल दिया । यह बात बिल्कुल सच है । पेपर्ज में लिखा हुआ है कि राज्यपाल ने . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्टेट्स का प्रश्न है । यह कोई पायंट आफ आर्डर नहीं है । मैं ने इस कालिंग एटेन्शन नोटिस को डिसएलाऊ कर दिया है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : संविधान की अवहेलना करना स्टेट्स का विषय नहीं है । उस का सीधा सम्बन्ध केन्द्र से है । आप पहले हमारी पूरी बात सुन लें और फिर अपना निर्णय दें ।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने एक काम-रोको प्रस्ताव दिया है । राज्यपाल के द्वारा राजस्थान विधान सभा से बारह सदस्य निकाले गए । राज्यपाल केन्द्र का प्रतिनिधि है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : संविधान की धारा 143 का उल्लंघन किया गया है ।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Don't you hear me? I have disallowed that.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि. .

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । मैं ने इस को डिसएलाऊ कर दिया है । माननीय सदस्य इस के बारे में मुझ से चेम्बर में आ कर बात कर सकते हैं ।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप एक निवेदन सुन लें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, आप का निर्णय हमारे सिर आंखों पर, लेकिन आप हमारा निवेदन तो सुन लें ।

Mr. Deputy-Speaker: I will have to ask you to go out. You cannot go on like this. I have disallowed that. If you are dissatisfied, you can come and see me in the Chamber and convince me and then I will see it.

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जो प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं. *

*Not recorded.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. All these things will not be recorded. (*Interruptions*).*

Mr. Deputy-Speaker: We will now go to the next business. (*Interruptions*).

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): May I make a submission? This is a very important matter. You may withhold your decision till you have either discussed it with us or till we have had an occasion to explain to you the aspects which entitle us to raise this question in the House. You cannot give a final decision.

Mr. Deputy-Speaker: I am prepared to reconsider it. You may come and see me in the Chamber and if you convince me, I am prepared to reconsider it.

डा० राम मनोहर लोहिया (फ़र्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

Mr. Deputy-Speaker: There is no point of now. (*Interruptions*).

Shri S. M. Banerjee *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Members may please come and meet me. (*Interruptions*).

Shri S. M. Banerjee: Kindly hear me, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) *rose*—

Shri Raghunath Singh (Varanasi): The Leader of the House should be allowed to speak. (*Interruptions*).

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

डा० राम मनोहर लोहिया : पहले मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर सुनिये, उस के बाद वह बोल सकते हैं । संविधान की धारा 256 आप पढ़िये । आपने अभी कहा है कि केवल राज्य की समस्या को यहां नहीं उठा सकते । मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 256 की तरफ खींचता हूं । यहां पर केन्द्र के प्रश्न को उठाया जा रहा है, राजस्थान का प्रश्न नहीं है, यह दिल्ली सरकार के कायदे कानून का प्रश्न है, मुश्किल यह है कि किताबें कमबख्त सभी अंग्रेजी में हैं । मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं—

> "The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose."

यहां साफ तौर पर इस धारा में हिन्द सरकार को हिदायत है कि जो देश के कानून हैं, उस के मुताबिक राज्यों की भी सरकारें चलनी चाहियें ।

Mr. Deputy-Speaker: As may appear to the Government of India to be necessary for that purpose...

डा० राम मनोहर लोहिया : आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनिये । "एपियर टू" का मतलब मनमानी नहीं होता । यहां प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जो मन में आवे, वह कर जायें, इनको कानून के मुताबिक अपना काम करना होगा । स्वेच्छा हो सकती है, स्वेच्छाचारिता नहीं हो सकती । इनको यहां पर यह देखना है कि क्या राजस्थान की विधान-सभा में कोई कायदे-कानून टूटे हैं, जो हमारी पार्लियामेंट के कानून हैं या संविधान के कानून हैं, अगर वे टूटे हैं तो भारत

*Not recorded.

[डा० राम मनोहर लोहिया]

सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि राजस्थान सरकार और विधान-सभा को हिदायत दे कि इन कायदे-कानूनों को तोड़ कर तुमने अपराध किया है और चूंकि भारत सरकार ने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया है, इस लिये यह भारत सरकार की असफलता है । यह केन्द्र का प्रश्न है और केन्द्र की असफलता के ऊपर हमारा स्थगन प्रस्ताव है । इस लिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर राजस्थान में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस के ऊपर बहस न चलायें, बहस इस बात पर चलायें कि क्या उसने कोई पाप किया है या नहीं, राजस्थान में कायदे-कानून और संविधान का पालन हुआ है या नहीं । अगर यह साबित हो जाता है तो हम कहने के लिये तैयार हैं कि वहां संविधान तोड़ा गया है, वहां कायदे-कानून तोड़े गये हैं । इस लिये आप यह स्थगन प्रस्ताव यहां पर लें और उस पर बहस करें ।

Mr. Deputy-Speaker: I have already said that...

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अभी इतनी जल्दी आप निर्णय न दें, और लोगों की बात भी सुन लीजिये, जो कि उसकी पुष्टि में कहीं जायगी ।

Mr. Deputy-Speaker: I have told the hon. Members on a suggestion made by Dr. Singhvi that I am prepared to reconsider the question. The hon. Members may please come and discuss with me. If I am satisfied and there is a case, then I will bring it up.

We should now go to the next business. (*Interruptions*).

श्री बागड़ी (हिसार) : यहां करो, वहां क्या करोगे ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सब लोगों की यही राय है कि इस विषय को सदन में ही लीजिये । यह सदन में बात करने का विषय है, सदन में सब लोगों के विचार सुनिये ।

Mr. Deputy-Speaker: If Members go on like this, we cannot proceed with the business.

श्रीराम सेवक यादव : सदन के नेता क्या कहना चाहते हैं, जरा वह सुन लीजिये अध्यक्ष महोदय ।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

Shri S. M. Banerjee: I want to make one submission....

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Shri S. M. Banerjee may resume his seat.

Shri S. M. Banerjee: I want to speak on something different.

Shri Shashi Ranjan (Pupri): May we know whether the Chair is to take directions from the Opposition Members?

Mr. Deputy-Speaker: Now, Papers to be laid on the Table.

Shri Hem Barua (Gauhati): I think the Leader of the House wanted to say something.

12.16 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annual Report of UGC for 1964-65

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): On behalf of Shri M. C. Chagla, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the University